न्यायालयः– जिला न्यायाधीश, चूरू (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारीः– सोनिका पुरोहित, R.J.S.(DJ Cadre)
विविध दीवानी प्रकरण (स्थानान्तरण) सं.17/2025

विष्णु भगवान पुत्र बद्रीप्रसाद उम्र 71 वर्ष निवासी साहवा तहसील तारानगर जिला चूरू।
–प्रार्थी

वि रु द्ध

सांवरमल पुत्र बद्रीप्रसाद निवासी वार्ड नं.12 साहवा तहसील तारानगर जिला चूरू।
–अप्रार्थी
1.जुगलकिशोर पुत्र स्व.इन्द्राज उर्फ राजेन्द्र नि.साहवा तहसील तारानगर जिला चूरू।
2.राधेश्याम पुत्र बद्रीप्रसाद निवासी साहवा तहसील तारानगर जिला चूरू।
–गौण अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 24 सिप्रसं

उपस्थित :–

1.श्री नन्दराम राहड़ अधिवक्ता प्रार्थी।
2.श्री कानसिंह अधिवक्ता अप्रार्थी।
3.श्री सुनील डोरवाल अधिवक्ता गौण अप्रार्थीगण।

–: आ दे श :– दिनांक–12.03.2026

1. इस आदेश के माध्यम से प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 24 सिविल प्रक्रिया संहिता का निस्तारण किया जा रहा है जिसके माध्यम से प्रार्थी ने अपर जिला न्यायालय, तारानगर में विचाराधीन प्रकरण सिविल अपील नम्बर 12/2019 विष्णुभगवान बनाम सांवरमल वगैरह एवं सिविल अपील नम्बर 01/2020 सांवरमल बनाम विष्णुभगवान को अन्य सक्षम न्यायालय में अन्तरित करने का निवेदन किया गया है।
2. प्रार्थी ने यह स्थानान्तरण याचिका इस आशय की पेश की है कि उसके द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 12/2019 में अप्रार्थी व अन्य पक्षकारान की तामील हो चुकी थी व अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील संख्या 01/2020 में अन्य पक्ष की तामील नहीं हुई थी फिर भी अपर जिला न्यायाधीश, तारानगर ने दिनांक 17.03.2025 को इस आशय की आदेशिका लिखी की क्रोस अपील संख्या 12/2019 में प्रत्यर्थी सं.5 की ओर से श्री सूर्यप्रकाश अधिवक्ता उपस्थित आ रहे हैं, दोनों एक ही प्रकरण की क्रोस अपीलें हैं, पत्रावली बहस अन्तिम में दिनांक 09.04.2025 को नीयत कर दी तथा न्यायालय द्वारा उक्त पक्षकारान

को नोटिस ही जारी नहीं किये गये। यह स्पष्ट रूप से इस प्रकरण में पीठासीन अधिकारी के पक्षपात को दिखाता है। उक्त अपीलें दिनांक 05.07.2025 को नीयत थी जिस दिन प्रार्थी न्यायालय में उपस्थित था तथा किसी भी अधिवक्ता ने पीठासीन अधिकारी के समक्ष बहस नहीं की लेकिन पीठासीन अधिकारी ने प्रार्थी के अधिवक्त के खाली कागज पर हस्ताक्षर करवाकर यह आदेशिका लिखी कि बहस अधूरी रही, पत्रावली मजीद बहस हेतु नीयत कर दी। इसके अलावा अप्रार्थी पक्ष भी एलानिया धमकी दे रहा है कि एडीजे साहब से उनकी सेटिंग हो चुकी है, निर्णय उनके पक्ष में ही होगा तथा पीठासीन अधिकारी द्वारा की जा रही जल्दबाजी से भी मामला सन्दिग्ध प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में पीठासीन अधिकारी से प्रार्थी को न्याय की उम्मीद नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया।

3. प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तथा विचारण न्यायालय से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। अप्रार्थी पक्ष को तलब किया गया।
4. अप्रार्थी सांवरमल की ओर से जवाब दिया गया कि दोनों अपीलें चार पांच वर्ष से तामील के प्रक्रम पर चल रही हैं तथा दोनों अपीलें एक ही मामले में क्रोस अपीलें हैं जिनके तथ्य एक ही हैं इसलिए अपील संख्या 12/2019 में तामील होने के बाद त्वरित न्याय हेतु बहस अन्तिम में नीयत किया जाना पूर्णतः विधिक है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में जो तथ्य अंकित किये हैं वे प्रार्थना पत्र को एक मोड़ देने हेतु बिना किसी तात्विक साक्ष्य के झूठे दर्ज करवाये हैं। उक्त अपील में पारित किसी आदेश से प्रार्थी यदि व्यथित है तो वह उचित मन्च पर चुनौती दे सकता है लेकिन बिना तात्विक तथ्यों के झूठे लान्छन लगाकर प्रकरण को देरीना करने के आशय से प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो खारिज किये जाने योग्य है।
5. गौण अप्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र का जवाब पेश करना नहीं चाहा।
6. प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई।
7. उभय पक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागण ने अपने प्रार्थना पत्र एवं जवाब में अंकित तथ्यों को ही बहस में दोहराया है।
8. इस सम्बन्ध में पत्रावली का अवलोकन किया गया। सम्बन्धित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी की टिप्पणी का अवलोकन किया गया जिसमें यह अंकित किया गया है कि प्रार्थना पत्र में उल्लेखित अपीलें उनके न्यायालय में लम्बित हैं

जो मजीद बहस हेतु दिनांक 06.08.2025 को नीयत थी। अपील से सम्बन्धित प्रकरण संख्या 55/2013 राधेश्याम वगैरह बनाम श्रीमती विमलादेवी का निर्णय न्यायालय द्वारा दिनांक 13.12.2024 को किया गया जिसमें वाद को खारिज किया गया था। इस वाद में प्रार्थी विष्णुभगवान वादी सं.3 व सावंरमल प्रतिवादी सं.2 के रूप में स्थापित थे। उक्त समान पक्षकारों से सम्बन्धित उक्त वाद के हुए निर्णय को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी विष्णु भगवान जानबूझकर अपील का निर्णय नहीं करवाना चाहता है और धारा 24 सिप्रसं का प्रार्थना पत्र पेश कर दिया है जिसमें मिथ्या तथ्य अंकित किये गये हैं। अपील संख्या 12/2019 न्यायालय का लक्षित प्रकरण है जिसके निस्तारण हेतु माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित किये गये हैं जिसके दृष्टिगत ही इसमें कार्यवाही की गई है। टिप्पणी में यह भी अंकित किया गया है कि यदि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तो उनको कोई आपत्ति नहीं है।

9. इस सम्बन्ध में पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र के साथ जो प्रमाणित प्रतियां सम्बन्धित अपीलों की आदेशिकाओं की पेश की गई है, उनके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि इनमें कोई अनियमितता या अवैधता या अविधिकता नहीं है। इन आदेशिकाओं के अवलोकन से ये सभी नियमित सुनवाई के पश्चात विधि अनुसार पारित की गई हैं। प्रार्थी का यह कथन कि उनके अधिवक्ता से खाली कागज पर हस्ताक्षर करवाकर बहस सुनी जाने, बहस अधूरी रहने व मजीद बहस की आदेशिका जारी की गई, जबकि किसी भी पक्ष के अधिवक्ता ने कोई बहस नहीं की, विश्वसनीय नहीं है क्योंकि कोई भी अधिवक्ता बिना बहस किये खाली कागज पर हस्ताक्षर नहीं कर सकता। स्वयं प्रार्थी के अधिवक्ता के आदेशिका मजीद बहस बाबत पर स्वीकृति स्वरूप हस्ताक्षर हैं जिससे यह स्पष्ट होता है कि बहस सुनी गई जो अधूरी रही और पत्रावली मजीद बहस हेतु आगे नीयत की गई थी। यह तथ्य भी निर्विवाद है कि दोनों अपीलें एक ही प्रकरण से सम्बन्धित हैं एवं क्रोस अपीलें हैं जिनमें दोनों पक्ष उपस्थित आ रहे हैं। अप्रार्थी पक्ष द्वारा पीठासीन अधिकारी से बातचीत होने एवं एलानिया धमकी दिये जाने के सम्बन्ध में प्रार्थी ने कोई साक्ष्य पेश नहीं की है, केवल मात्र मौखिक रूप से कथन किये हैं जो विश्वसनीय नहीं हैं। विद्वान पीठासनी अधिकारी पर लगाये गये आरोप मनगढन्त एवं Vague हैं क्योंकि इनका समर्थन करने वाली कोई सामग्री पत्रावली पर नहीं है। पत्रावली के समग्र

अवलोकन से पीठासीन अधिकारी का कोई ऐसा कृत्य नहीं है जिससे प्रार्थी को न्याय प्राप्ती में अन्देशा हो गया हो। विद्वान अपर जिला न्यायाधीश, तारानगर की टिप्पणी के अनुसार अपील संख्या 12/2019 **लक्षित प्रकरण** है जिसके निस्तारण हेतु माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित किये गये हैं जिसके दृष्टिगत ही इसमें कार्यवाही की गई है।

10. प्रकरण में पक्षकारों को न्यायालय में सुना गया तथा उन्हें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चूरू में प्रकरण भेजकर वार्ता हेतु भी भेजा गया परन्तु बावजूद भरसक प्रयास के प्रकरण में मध्यस्थता (Mediation) असफल रहने की रिपोर्ट आई है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र में उल्लेखित प्रकरणों को स्थानान्तरित किये जाने के कोई भी आधार मौजूद नहीं होने से प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

11. अतः प्रार्थी विष्णुभगवान की ओर से प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 24 सिविल प्रक्रिया संहिता बाबत अपर जिला न्यायालय, तारानगर में विचाराधीन प्रकरण सिविल अपील नम्बर 12/2019 विष्णुभगवान बनाम सांवरमल वगैरह एवं सिविल अपील नम्बर 01/2020 सांवरमल बनाम विष्णुभगवान को स्थानान्तरित किये जाने, अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(सोनिका पुरोहित)
जिला न्यायाधीश, चूरू

12. आदेश आज दिनांक 12.03.2026 को विवृत न्यायालय में सुनाया गया।

(सोनिका पुरोहित)
जिला न्यायाधीश, चूरू